

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(32)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक ९/७/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री कपिल टोडावत, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर / 970 / 97) को जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, उदयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, उदयपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर / जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 8 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर।
- 9 जिला कलक्टर, उदयपुर।
- 10 कोषाधिकारी, उदयपुर।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 14 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 15 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 16 रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(32)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक १०/१०/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बंशीलाल गवारिया, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर 874/03) को विशिष्ट न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण), उदयपुर में राज्य पक्ष की ओर से प्रकरणों की पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा अ.नि.प्र.), उदयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री धन सिंह झाला, विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा अ.नि.प्र.), उदयपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

८०
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, उदयपुर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश (अजा/अजजा अ.नि.प्र.), उदयपुर।
- 10 जिला कलक्टर, उदयपुर।
- 11 कोषाधिकारी, उदयपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समर्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

१०/१०/२०१९
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.४(३२)राज/वाद/१९

जयपुर, दिनांक ९/८/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, सं01, उदयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री चेतन पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/३२३७/०७) को विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, उदयपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, उदयपुर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, उदयपुर।
- 10 जिला कलक्टर, उदयपुर।
- 11 कोषाधिकारी, उदयपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(32)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए राज्य सरकार की ओर पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं	पद नाम
1	श्री गीत कुमार तलेसरा	आर/1535/07	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, उदयपुर।
2	श्री मोहम्मद युसुफ	आर/1986/03	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, उदयपुर।
3	श्री सदीप सिंह दहिया	आर/2190/04	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, उदयपुर।
4	श्री मुस्तकिल खान	आर/2725/02	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं05, उदयपुर।
5	डॉ गिरधारी लाल शर्मा	आर/1262/02	अपर लोक अभियोजक, (म0उ0), उदयपुर
6	श्री अनुराग शर्मा	आर/1428/2000	अपर लोक अभियोजक, (सिविल), उदयपुर
7	श्री पंकज भोई	आर/1326/06	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, खैरवाडा, जिला उदयपुर।

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री प्रेम सिंह पवार	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, उदयपुर।
2	श्रीमती बन्दना शर्मा(उदावत)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, उदयपुर।
3	श्री पंकज कुमार कोठारी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, उदयपुर।
4	श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं05, उदयपुर।
5	श्री भूपेन्द्र जैन	अपर लोक अभियोजक, (सिविल), उदयपुर
6	श्री सन्देश कोठारी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, खैरवाडा, जिला उदयपुर।

आज्ञा से
9/7/2019
चंचल मिश्रा
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाइ) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।

- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, उदयपुर।
9 अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, स01, 2, 3 व 5/खैरवाडा/(महिला उत्पीड़न) उदयपुर, जिला उदयपुर।
10 जिला कलक्टर, उदयपुर।
11 कोषाधिकारी, उदयपुर।
12 संबंधित अभियोजक।
13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17 रक्षित पत्रावली।

(Chandru Mishra)
(चंद्रु मिश्र)
शासन सचिव, विधि